



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27676

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1804 वर्ष 2026

वर्षा गर्ग

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आस्था मिश्रा, अवनीश त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मुरादाबाद में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्हें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था। जब याचिकाकर्ता अधिशासी अभियंता के रूप में तैनात हैं, तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बिना किसी कारण बताओ नोटिस के, दिनांक 11.12.2025 को 2025-26 की अवधि के लिए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश पारित किया गया।
3. इसे चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि वह पीठ पीछे एकपक्षीय है और यह एकतरफा कार्यवाही भी है तथा कुछ एस इनपुट के आधार पर विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है जिनसे याचिकाकर्ता अवगत नहीं थे।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि मामला जो भी हो, आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। अतः उनके अनुसार आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया जाए और कानून के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
6. मैंने अदालत में दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।
7. याचिकाकर्ता का आरोप है कि जब वह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत थे, तब विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। आक्षेपित आदेश से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। चूंकि सिविल परिणामों वाला एक प्रतिकूल आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इसलिए प्रत्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे याचिकाकर्ता को कारण

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बताओ नोटिस जारी करते और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के बाद आदेश पारित किए जाने चाहिए थे। चूंकि उक्त कार्यवाही का अभाव है, इसलिए आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

8. आयुक्त मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2025 को निरस्त किया जाता है।

9. इस आदेश का पारित होना प्रत्यर्थियों को सख्ती से कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने से नहीं रोकेगा।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"